भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार, हरदोई 047

GA 491807

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रारूप–'अ'

शपथ पत्र

हम रामकान्ती एवं नरेन्द्र कुमार कुशवाहा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव रामप्रसाद कुशवाहा महाविद्यालय शिक्षण समिति ग्राम नेकपुर हातिमपुर, तिराहा पो० साण्डी, जिला हरदोई शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है–

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा रामप्रसाद कुशवाहा महाविद्यालय नेकपुर हातिमपुर तिराहा साण्डी हरदोई, नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम नेकपुर हातिमपुर तिराहा साण्डी हरदोई मे गाटा संख्या 107/2 रकबा 1.0190 हेक्टेयर कुल रकबा 1.0190 भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 107/2 कुल रकबा 1.0190 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 19.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रबन्धक
रामप्रसाद कुशवाहा महाविद्यालय, समिति
नेकपुर हातिमपुर तिराहा साण्डी, हरदोई

अध्यक्ष
राम प्रसाद कुशवाहा महाविद्यालय
शिक्षण समिति
नेकपुर हातिमपुर तिराहा,साण्डी (हरदोई)

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं, आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली भाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्णरूप से सत्य है। यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज, फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गई विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तर दायी होऊँगा।

हस्ताक्षर सचिव
प्रबन्धक
रामप्रसाद कुशवाहा महाविद्यालय शिक्षण समिति
नेकपुर हातिमपुर तिराहा साण्डी, हरदोई

हस्ताक्षर अध्यक्ष
अध्यक्ष
राम प्रसाद कुशवाहा महाविद्यालय
शिक्षण समिति
नेकपुर हातिमपुर तिराहा साण्डी (हरदोई)

शपथी को जानता हूँ [illegible]
[illegible]